**भारत सरकार**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 930**

**28जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**ओप्टोमिटि्रस्ट के लिए विनियामक बोर्ड**

**930.** **श्रीमती बिमला कश्यप सूद:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नर्सिंग काउंसिल आफ इंडिया और डेंटल काउंसिल आफ इंडिया इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए केंद्रीकृत रूप से एकीकृत लाइसेंसिंग और विनियामक बोर्डों का काम करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ओप्टोमिटि्रस्ट कार्मिकों के लिए क्या कोई ऐसा केंद्रीकृत रूप से एकीकृत और विनियामक बोर्ड विद्यमान है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे विनियामक बोर्ड का क्या नाम है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) विदेशों में काम करने के लिए जाने वाले ओप्टोमिटि्रस्ट की शैक्षणिक योग्यताओं को मान्यता देने के लिए कौन सा प्राधिकरण प्राधिकृत है; और

(ङ) क्या सरकार का ओप्टोमिटि्रस्ट के लिए केन्द्रीकृत रूप से एकीकृत तथा विनियामक बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण राज्‍य मंत्री (श्री श्रीपाद यसो नाईक)**

(क): इंडियन नर्सिंग काउंसिल और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया अलग-अलग अधिनियमों के तहत स्‍थापित किए गए अलग-अलग निकाय हैं।

(ख) से (ड.): जी, नहीं। वर्तमान में, ओप्‍टोमिट्रिस्‍ट कार्मिकों के लिए स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के तहत कोई केन्‍द्रीय प्राधिकरण/निकाय नहीं है। वर्तमान में ओप्‍टोमिट्रिस्‍ट के लिए एक अलग निकाय हेतु कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है।

\*\*\*